



OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“आपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 13,000 रू0 अर्थदण्ड एवं 01 अभियुक्त को 07 वर्ष कारावास व 5,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना है कि दिनांक 24.08.2021 को अभियुक्तगणों द्वारा वादी के भाई की हत्या कर लाश को छिपा देने के सम्बन्ध में थाना अजीमनगर पर मु0अ0सं0- 239/21 धारा- 302,201 भादवि बनाम 1.सतीश 2.प्रेमसिंह पुत्रगण मोहन, 3.हरपाल पुत्र हरस्वरूप नि0गण ग्राम बगडखां थाना अजीमनगर, रामपुर 4.शिवदयाल पुत्र रामदयाल नि. ग्राम युटियापुर थाना भोट, रामपुर पंजीकृत किया गया था ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक-03.05.2024 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद रामपुर द्वारा अभियुक्त 1.सतीश, 2.प्रेमसिंह, 3.हरपाल उपरोक्त को आजीवन कारावास व 13,000 रू0 अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 4.शिवदयाल उपरोक्त को 07 वर्ष कारावास व 5,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

सजा का विवरण:-

अभियुक्त 1.सतीश 2.प्रेमसिंह पुत्रगण मोहन, 3.हरपाल पुत्र हरस्वरूप उपरोक्त को आजीवन कारावास व 13,000 रू0 अर्थदण्ड एवं एवं अभियुक्त 4.शिवदयाल पुत्र रामदयाल को 07 वर्ष कारावास व 5,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

@rampurpolice

रामपुरपुलिस

@रामपुरपुलिस

7839859826